The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of Article 19)

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I introduce the Bill.

The Criminal Law (Amendment) Bill, 2018

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860 and Code of Criminal Procedure, 1973.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I introduce the Bill.

The Agricultural and Other Rural Workers (Protection and Welfare) Bill, 2018

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र)ः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि और अन्य ग्रामीण कर्मकारों का शोषण किए जाने से संरक्षण प्रदान करने वाले उपायों और राज्य द्वारा न्यूनतम मजदूरी, पेंशन, भविष्य निधि सुविधाएं और दुर्घटनाओं की स्थिति में सवेतन छुट्टी सहित वित्तीय मुआवज़ा, महिला कर्मकारों को चिकित्सा, प्रसूति और शिशु सदन सुविधाएं, बच्चों के लिए शिक्षा एवं पोषण और ऐसे अन्य कलयाणकारी उपायों को सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कर्मकारों के लिए कल्याण प्राधिकरण तथा कल्याण निधि की स्थापना करने और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री अमर शंकर साबलेः महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

The Downtrodden, Backward and Oppressed Youth (Development and Welfare) Bill, 2018

श्री अमर शंकर साबलेः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनसुचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो तथा धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के दमित वर्गों के युवाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने तथा राज्य द्वारा किए जाने वाले उनके कल्याण और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री अमर शंकर साबले: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): सर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): जी।

श्री पी.एल. पुनिया: सर, मेरा आइटम लगा था और प्राइवेट...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): नहीं, अभी यह हो जाने दीजिए।

श्री पी.एल. पुनिया: सर, यह होने के बाद ही तो है, उसी के बाद है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): राष्ट्रपति महोदय के यहां से हो जाने दीजिए।

श्री पी.एल. पुनिया: सर, इसको टेक अप नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वित्त विभाग के द्वारा अभी रिकमंडेशंस प्राप्त नहीं हुई और न उन्होंने यह बताया कि रिकमंडेशंस क्यों नहीं दी गईं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): यह तो आने पर ही पता लगेगा।

श्री पी.एल. पुनिया: सर, मैं यह इसलिए उठाना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लॉटरी में आता है और फिर वह लिस्टेड होता है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): जब तक यह सारी कार्यवाही विधिक रूप से संपन्न नहीं हो जाती, तब तक इसको...

श्री पी.एल. पुनिया: सर, आप पीठ से यह निर्देश दे दें कि वहां से इस पर जल्दी रिपोर्ट आ जाए, तो मैं आपका आभारी होऊंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): ठीक है, कार्यालय इस बारे में आवश्यक कार्रवाई करेगा। The Exploited, Indebted and Poverty Stricken Farmers (Protection, Prevention of Suicides and Welfare) Bill, 2014. Shri Rajkumar Dhoot; not present. Next, the Parliament (Enhancement of Productivity) Bill, 2017. Shri Naresh Gujral.

The Parliament (Enhancement of Productivity) Bill, 2017

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, I move:

"That the Bill to provide for the establishment of an effective system to prevent and address the decline in productivity of Parliament due to disruptions of sittings, by means of an appropriate legal framework to fix the minimum number of days in a year for which Parliament shall be in Sessions, introduction of special Session in addition to the existing three Sessions, compensation for the hours unutilized due to disruptions, and to provide obligations of the Presiding Officers of both Houses